भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1770
सोमवार, 17 मार्च, 2025 (26 फाल्गुन, 1946 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

सभी विमानपत्तनो पर विद्युत सुरक्षा, प्राथमकि चिकित्सा सेवाएं और अग्निशमन उपकरण बढ़ाना

1770. डा. अजित माधवराव
गोपछड़े:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विमानपत्तन पर विमान रखरखाव के दौरान हुई आग लगने की घटनाओं, मुंबई विमानपत्तन पर ज्वलनशील रसायन से भरे बैग से लगी आग तथा बेंगलुरू विमानपत्तन पर बिटुमिनस सामग्री ले जा रहे ट्रक में आग लगने की घटनाओं के बारे में जानकारी है;

(ख) विमानपत्तनों पर विमानन ईंधन स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हितधारकों के सहयोग से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और सुरक्षा निरीक्षण के संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षति करने के लिए क्या योजनाएं मौजूद हैं; और

(ग) सभी विमानपत्तनों पर विद्युत सुरक्षा, प्राथमकि चिकित्सा सेवाओं तथा अग्निशमन उपकरणों को बढ़ाने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर सरकार द्वारा क्या पहल की गई है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): दिनांक 16 अगस्त, 2024 को मुंबई हवाईअड्डे पर फ्लाइट ईटी-641 के पंजीकृत बैगेज कंटेनर (एकेई 5143 ईटी) से धुआँ देखा गया। कंटेनर में रखे बैग से धुआं निकलता देखा गया। चूँकि उस समय थोड़ी सी आग लगी थी, इसलिए प्रभावित बैग को हटा दिया गया और आग को उचित रूप से बुझा दिया गया। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) की फायर ब्रिगेड सहित टीमों के आगमन और आगे की जाँच के पश्चात, यह पता चला कि फ्लाइट में यात्रा कर रहे एक निश्चित यात्री के पंजीकृत बैगेज में रखे अज्ञात रासायनिक पदार्थ के कारण आग लगी थी, जिस पर समय रहते काबू पा लिया गया। संबंधित यात्री के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने सहित आवश्यक कार्रवाई की गई।

वर्ष 2021 में कोविड के दौरान, सड़क पर चिह्न लगाने के दौरान थर्मोप्लास्टिक पेंट और एलपीजी से भरे एक ट्रक में आग लग गई, जो बैंगलोर हवाईअड्डे के भूभाग पर निर्माणाधीन वाहनों के लिए अंडरपास में था। दुर्घटना की पूरी जाँच की गई और इसे प्राधिकारियों को रेफर किया गया। यह घटना ठेकेदार/उप-ठेकेदार द्वारा संरक्षा प्रक्रियाओं का पालन न करने, लापरवाही बरतने और ऐसे बुनियादी कार्यों के लिए अनुभवहीन श्रमिकों को नियुक्त करने (कोविड लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों की कमी के कारण) के कारण हुई थी।

सभी ईंधन फार्म और संबंधित सुविधाएँ नियमित जाँच के अध्यधीन हैं। इसके अतिरिक्त, नियतकालिक कृत्रिम अभ्यास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विमान ईंधन भरने के लिए जाने वाली ईंधन हाइड्रेंट लाइनें और संबंधित सुविधा, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं और नियमित ऑडिट किए जाते हैं।

विद्युत प्रणालियों को नियंत्रित करने वाले अग्नि सुरक्षा विनियमों का अनुपालन किया जाता है। ऐसी स्थितियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए चिकित्सा सहायता सहित पर्याप्त व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

संबंधित अग्नि विनियामक प्राधिकरण, हवाईअड्डा टर्मिनल बिल्डिंगों और अन्य सहायक बिल्डिंगों के कार्यशील होने से पहले उनकी अग्नि संरक्षा का मूल्यांकन और अनुमोदन भी करता है।

हवाईअड्डों पर संयुक्त अग्नि और बिल्डिंग निकासी अभ्यास (सभी कार्यरत एजेंसियों/हितधारकों के साथ) भी आयोजित किए जाते हैं।

*****